लघु बचत योजनाएँ

हाल ही में सरकार ने मुद्रास्फीति के ऊँचे स्तर के कारण वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही के लिये **राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate- NSC)** और **सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund- PPF)** सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है।

लघु बचत योजनाएँ/उपकरण:

- **परिचय:**
  - ये भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं और इसमें 12 उपकरण/प्रपत्र (Instrument) शामिल हैं।
  - इसमें **जमाकर्त्ताओं को उनके धन पर सुनिश्चित ब्याज** मिलता है।
  - सभी लघु बचत प्रपत्रों से संग्रहीत राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष **(NSSF)** में जमा किया जाता है।
  - **कोविड-19** महामारी के कारण **सरकारी घाटे** में वृद्धि की वजह से उधार की उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिये छोटी बचतें सरकारी घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं।
- **वर्गीकरण:** लघु बचत उपकरणों को तीन प्रमुख भागों के अंतरगत वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - **डाक जमा:** इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग-अलग परिपक्वता की सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल है।
  - **बचत प्रमाणपत्र:** राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)।
  - **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:** **सुकन्या समृद्धि योजना**, सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)।
- **दरों का निर्धारण:**
  - छोटी बचत योजनाओं पर **ब्याज दरों को तिमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है** जो कि **समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डों में संचलन के अनुरूप** होता है। **वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा** की जाती है।
  - लघु बचत योजना पर गठित **श्यामला गोपीनाथ समिति (2010)** ने छोटी बचत योजनाओं के लिये बाज़ार संबद्ध ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/small-savings-schemes